पत्रांक 1प्रा0आ0-36/2002/...1293.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 17/4/2012

विषयः **वर्ष 2010-15 तक के लिए दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को भारत सरकार द्वारा (एस0डी0आर0एफ0 एंव एन0डी0आर0एफ0) निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप संशोधित मानदर पर साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), लोक नायक भवन, नई दिल्ली के पत्रांक 32-7/2011-एन0डी0एम0-1 दिनांक-16.01.2012 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड(एस0डी0आर0एफ0) से वर्ष 2010-15 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित मानदर निर्धारित किया गया है।

2. उपर्युक्त संशोधित मानदर पर राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 32-7/2011-एन0डी0एम0-1 दिनांक-16.01.2012 द्वारा निर्धारित एवं अद्यतन संशोधित निम्नांकित सहाय्य मानदर को दिनांक 01.04.2012 से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया

गया है। यह मानदर दिनांक 01.04.2012 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा।

क्र0 सं0	मद का नाम/ITEM	भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2011/एन0डी0एम0-1 दिनांक-16.01.2012 द्वारा निर्धारित मानदर/ Norms of Assistance
1	**GRATUITOUS RELIEF/ अनुग्रह अनुदानः-**	
	a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons	**Rs.1.50 lakh** per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority. - In the case of an Indian citizen who loses his life due to a notified natural calamity in a foreign country, his family would not be paid this relief. - In the case of a Foreign citizen who loses his life due to a notified natural calamity within the territory of India, his family would also not be paid this relief.
	(क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	**₹ 1.50 लाख प्रति मृतक (राहत कार्यों एवं तैयारी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की मृत्यु सहित), बशर्त्ते सक्षम प्राधिकार द्वारा मृत्यु के कारणों का प्रमाणीकरण (Certification) किया गया हो।** ➢ भारतीय नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण विदेश में मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा । ➢ इसी प्रकार विदेशी नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर मृत्यु होने पर उसके परिवार का अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा ।
	b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s).	**Rs. 43,500/-** per person, when the disability is between 40% and 80%. **Rs. 62,000/-** per person, when the disability is more than 80%. Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability

	(ख) हाथ-पैर या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	**₹ 43,500.00 प्रति व्यक्ति** (जब विकलांगता 40 से 80 प्रतिशत के बीच हो) **₹ 62,000.00 प्रति व्यक्ति** (जब विकलांगता 80 प्रतिशत से अधिक हो) बशर्त्ते सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी के द्वारा विकलांगता के सीमा एवं कारण का प्रमाणीकरण किया गया हो।
	c) Grievous injury requiring hospitalization	**Rs. 9300/-** per person requiring hospitalization for more than a week. **Rs. 3100/-** per person requiring hospitalization for less than a week
	(ग) गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पीटल में भर्त्ती होना पड़े।	**₹ 9300.00 प्रति व्यक्ति** (एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्त्ती रहने पर) **₹ 3100.00 प्रति व्यक्ति** (एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्त्ती रहने पर)
	d) Clothing and utensils/ house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity.	**Rs.1300/-** per family, for loss of clothing. **Rs.1400/-** per family, for loss of utensils/ household goods
	(घ) जिन परिवारों का वस्त्र एवं बर्तन/घरेलु सामान बह गया हो/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ हो/ गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जलप्लावित रहा हो।	**₹ 1300.00 प्रति परिवार वस्त्र की क्षति के लिए** **₹ 1400.00 प्रति परिवार वर्त्तन/घरेलु सामान की क्षति के लिए**
	e) Gratuitous relief for families in dire need of immediate sustenance after a calamity. GR to be provided to those who have no food reserves, or whose food reserves have been wiped out in a calamity, and who have no other immediate means of support.	**Rs.30** per adult and **Rs. 25** per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise. Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack

	(ङ) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान की आवश्यकता जिनके पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गये है और उन्हें तत्काल सहायता के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है।	**₹ 30.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 25.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है।** राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि (i) इन व्यक्तियों के पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गए हैं। (ii) चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं। वैसे लाभार्थियों तक जिलावार पहुँचने के लिए राज्य सरकार आधार एवं प्रक्रिया तय की जायेगी। ➢ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी। ➢ सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली बार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आक्रमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
2	**SEARCH & RESCUE OPERATIONS / खोज एवं बचाव कार्य**	
	(a) Cost of search and rescue measures/ evacuation of people affected/ likely to be affected	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). - By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/near-actual costs.]
	(क) खोज एवं बचाव उपायों की लागत/ आपदा प्रभावित/आपदा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों का निष्कासन।	वास्तविक खर्च के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➢ जिस समय केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जाता है उस समय सहाय्य संबंधी गतिविधियाँ समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए राज्य स्तरीय समिति और

		केन्द्रीय दल वास्तविक/लगभग वास्तविक लागत की अनुशंसा कर सकते हैं
	(b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives.	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.
	(ख) जीवन रक्षा एवं तत्काल राहत पहुँचाने हेतु भाड़े के नाव की व्यवस्था	वास्तविक लागत के अनुरूप। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। ➤ सहाय्य की मात्रा आपदा में फसे लोगों के निष्कासन तथा उनके जीवन रक्षा के लिए नाव के भाड़े एवं आवश्यक सामग्रियों पर वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
3	**RELIEF MEASURES/ राहत कार्य**	
	a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected/ evacuated and sheltered in relief camps.	As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM).
	(क) आपदा प्रभावित/निष्कासित/राहत शिविरों में आश्रय लिए लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सेवा आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था।	30 दिनों तक के लिए एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा आकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा राहत शिविरों की संख्या, उनकी अवधि एवं शिविर में लोगों की संख्या निर्दिष्ट किया जाएगा। सूखे की तरह निरंतर आपदा की स्थिति/ भूकम्प/ बाढ़ से बड़े पैमाने की तवाही की स्थिति में सहाय्य की अवधि 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा

		गंभीर सूखे के मामले में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। चिकित्सा सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) द्वारा दिया जा सकता है।
	b) Air dropping of essential supplies	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	(ख) आवश्यक राहत सामग्रियों का वायुयान के माध्यम से वितरण।	➢ एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । ➢ सहायता की मात्रा (Quantum) सिर्फ आवश्यक आपूर्ति हेतु air dropping और सिर्फ बचाव कार्य में प्रयुकत वायुसेना/अन्य एयरक्राफ्फ्ट प्रदान करने वाले के वास्तविक बिल तक ही सीमित रहेगी।
	c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought.
	(ग) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पेय जलापूर्ति	एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा । 30 दिनों के लिए और सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
4	**CLEARANCE OF AFFECTED AREAS/ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई**	
	a) Clearance of debris in public areas.	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF
	(क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलवा की सफाई	साहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने

		हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	b) Draining off flood water in affected areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team(in case of NDRF).
	(ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल की निकासी	साहाय्य की मात्रा 30 दिनों के अन्तर्गत हुए वास्तविक खर्च के अनुरूप होगी। एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
	c) Disposal of dead bodies/ Carcases	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).
	(ग) मानव शवों/ एवं मृत पशुओं का निष्पादन।	वास्तविकता के अनुरूप एस0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु राज्यस्तरीय समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आंकलन किया जाएगा ।
5	**AGRICULTURE/ कृषि**	
(i)	**Assistance to small and marginal farmers./ लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहाय्य**	
A	**Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य**	
	a). De-silting of agricultural land (where thickness of sand/ silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.)	**Rs. 8,100/-** per hectare for each item. (Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	(क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग (जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो)	₹ 8100.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए (बशर्ते कि किसी सरकार के किसी अन्य योजना द्वारा सहायता पाने योग्य न हों या सहायता / सब्सिडी न प्राप्त कर लिया हो)
	(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि से डेवरिस (मलवा) हटाने के लिए	
	(ग) मछली फार्मों का डिसिल्टिंग/	

	पुनर्स्थापना/ मरम्मति	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	**Rs. 25,000/-** per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.
	(घ) भूस्खलन/बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	₹ 25,000.00 प्रति हेक्टर सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रभावित भूमि के वैध मालिक हैं।
B	**Input subsidy (where crop loss is 50% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो।)**	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	**Rs. 3,000/-** per ha. in rainfed areas **Rs. 6,000/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.500 and restricted to sown areas.
	(क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	₹ 3,000/- प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 6,000/- प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 500/-रू0 से कम नहीं दी जाएगी ।
	b) Perennial crops	**Rs. 8,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to areas being sown and subject to minimum assistance not less than Rs.1000/-.
	(ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए	₹ 8,000/- प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत)फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1000/-रू0 से कम नहीं दी जाएगी ।
	c) Sericulture	**Rs. 3,200/-** per ha. for Eri, Mulberry, Tussar **Rs. 4,000/-** per ha. for Muga.
	(ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए	₹ 3,200/- प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलवेरी" एवं "तसर" के लिए ₹ 4,000/- प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए
(ii)	**Input subsidy to farmers other than small and marginal farmers**	**Rs.3000/-** per hectare in rainfed areas **Rs.6000/-** per hectare for areas under assured irrigation. **Rs.8000/-** per hectare for all types of perennial crops. - Assistance may be provided where crop loss is 50% and above, subject to a ceiling of 1 ha. per farmer and upto 2 ha per farmer in case of

		successive calamities irrespective of the size of holding being large
(ii)	लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी।	₹ 3,000/- प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 6,000/- प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 8,000/- प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। 50 % एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक, अनुवर्ती आपदा के मामले में 2 हेक्टेयर प्रति कृषक चाहे जमीन का आकार कैसा भी हो।
6	**ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन - लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता**	
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	***Milch animals -*** **Rs.16,400/-** Buffalo/ cow/ camel/ yak etc. **Rs.1650/-** Sheep/ Goat ***Draught animals -*** **Rs.15000/-** Camel/ horse/ bullock, etc. **Rs.10,000/-** Calf/ Donkey/ Pony/ Mule - The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 1 large milch animal or 4 small milch animals or 1 large draught animal or 2 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government). ***Poultry:-*** Poultry @ **37/- per bird** subject to a ceiling of assistance of **Rs 400/-** per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. *Note:* - Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which

		the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
	i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या ढुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	**दूध देने वाला जानवर** भैंस/गाय/ऊँट/याक इत्यादि ₹ 16,400/- की दर से भेंड़/बकरी ₹ 1650/- की दर से **अदुग्धकारी जानवर** ऊँट/घोड़ा/बैल इत्यादि ₹ 15000/- की दर से बछड़ा/गदहा और टट्टू ₹ 10000/- की दर से सहाय्य आर्थिक रूप से उत्पादक जानवरों की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी और यह एक बड़े अदुग्धकारी जानवर या चार छोटे अदुग्धकारी जानवर या एक बड़े अदुग्धकारी जानवर या दो छोटे अदुग्धकारी जानवर प्रति परिवार तक सीलिंग के अंतर्गत होगी। चाहे जानवरों की क्षति की संख्या बड़ी क्यों न हो (क्षति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी) **पॉल्ट्री** ₹ 37/- प्रति चिड़ियाँ की दर से यह सहायता प्रत्येक लाभुक परिवारों को 400/- रू0 की अधिकतम सीमा के अंतर्गत। पॉल्ट्री चिड़ियाँ की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर अनुदान देय होगा। **टिप्पणीः**- इन मानदरों के अंतर्गत सहाय्य अनुमान्य नहीं होगा यदि किसी अन्य सरकारी योजना यथा चिड़ियों की क्षति पक्षी इंफलुएंजा के कारण या किसी अन्य बीमारियों के कारण हुई हो जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री मालिको को क्षति पूर्ति करने हेतु कोई अलग योजना हो।
	ii) Provision of fodder / feed concentrate in cattle camps.	Large animals- **Rs. 32/-** per day Small animals- **Rs. 16/-** per day, As per actual for 15 days, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team. (in case of NDRF)

	ii) पशु शिविरों में पशुचारा/feed concentrate हेतु।	बड़ा पशु ₹ 32/- प्रतिदिन की दर से । छोटा पशु ₹ 16/- प्रतिदिन की दर से । वास्तविकता के अनुरूप 15 दिनों के लिए, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा ।
	iii) Water supply in cattle camps.	As per actual for 15 days, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team. (in case of NDRF)
	iii) पशु शिविरों में जलापूर्ति	वास्तविकता के अनुरूप 15 दिनों के लिए, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा ।
	iv) Additional cost of medicines and vaccine.	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team, (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.
	iv) पशुदवा एवं टीका औषधि पर अतिरिक्त लागत	वास्तविक लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । आपदा की स्थिति में आवश्यकता के अनुरूप पशुधन की संख्या के अनुसार पशु दवा एवं टीका दिए जाने संबंधी सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
	v) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.
	v) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन	वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधारित होगा।
7	**FISHERY/ मत्स्य पालन**	

	i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost -- Boat -- Dugout-Canoe -- Catamaran -- net (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	**Rs. 3,000/-** for repair of partially damaged boats only **Rs.1,500/-** for repair of partially damaged net **Rs.7,000/-** for replacement of fully damaged boats **Rs.1,850/-** for replacement of fully damaged net
	(i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती/पुर्नस्थापन– क्षतिग्रस्त या खो जाने पर - • नाव • डोगी • कटमरैन • जाल (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अच्छादित है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा।)	₹ 3,000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए ₹ 1500/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए ₹ 7,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 1,850/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए
	ii) Input subsidy for fish seed farm	**Rs. 6,000** per hectare. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.)
	(ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी	₹ 6,000/- प्रति हेक्टर (यदि लाभुक सरकार के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान/सहायता प्राप्त कर लिए है तो उन्हें यह सहायता नहीं दिया जायेगा। अपवाद -यदि किसी ने एक बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय के योजना के तहत एक बार अनुदान प्राप्त किया है।)

8	**HANDICRAFTS/HANDLOOM – ASSISTANCE TO ARTISANS/ हस्तशिल्प/ हस्तकरघा- कारीगरों के लिए सहायता**	
	i) For replacement of damaged tools/ equipment	**Rs. 3000** per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	(i) क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए	₹ 3,000/- प्रति शिल्पी बशर्त्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	**Rs. 3,000** per artisan for raw material. - Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
	(ii) कच्चे माल/ प्रक्रियाधीन माल/ तैयार माल के क्षति के लिए	₹ 3,000/- प्रति शिल्पी कच्चे माल के लिए बशर्त्ते यह क्षति/ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित हो।
9	**HOUSING/ अवास/मकान**	
	a) **Fully damaged/ destroyed houses**	
	i) Pucca house ii) Kutcha House	**Rs. 35,000/-** per house **Rs.15,000/-** per house
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) **पक्का मकान** (ii) **कच्चा मकान**	₹ 35,000/- **प्रति मकान** ₹ 15,000/- **प्रति मकान**
	b) **Severely damaged houses**	
	i) Pucca House ii) Kutcha House	**Rs.6,300/-** per house **Rs.3,200/-** per house
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) **पक्का मकान** (ii) **कच्चा मकान**	₹ 6300/- **प्रति मकान** ₹ 3,200/- **प्रति मकान**
	(c) **Partially Damaged Houses** – both pucca/ kutcha (other than huts) where the damage is at least 15 %	**Rs. 1,900/-** per house
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान कच्चा/पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो ।	₹ 1,900/- **प्रति मकान**
	d) **Damaged / destroyed huts:**	**Rs. 2,500/-** per hut,

		(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house,made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.) *Note*: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government
	(घ) क्षतिग्रस्त /बर्बाद झोपड़ी	**₹ 2,500/- प्रति झोपड़ी** **(झोपड़ी का मतलब- अस्थायी, बनाकर हटाने वाल ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है)** **टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए।**
	e) Cattle shed attached with house	**Rs.1,250/-** per shed.
	(ड़) घर के साथ संलग्न पशु शेड	**₹ 1,250/- प्रति पशु शेड**
10	**INFRASTRUCTURE/ अधारभूत संरचना**	
	Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure: (1) Roads & bridges (2)Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5)Schools, (6)Primary Health Centres, (7) Community *assets owned by Panchayat.* Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded.	**Activities of immediate nature :** Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix**. ***Assessment of requirements :*** Based on assessment of need, as per States' costs/ rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic. For reference these norms are • Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR) .

		• Hills: upto 20% of total of OR and PR. *Note*: States shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair.
	अधारभूत संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्स्थापन (तत्काल प्रकृति के) (1) सड़क और पुल (2) पेय जलापूर्ति कार्य (3) सिंचाई, (4) उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने तक ही सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत की सामुदायिक परिसम्पतियाँ। Telecommunication और ऊर्जा जैसे sectors (तत्काल विद्युत आपूर्ति के पुनःस्थापन को छोड़कर) जो अपना राजस्व अर्जत करते हैं और तत्काल मरम्मति पुनः स्थापन कार्य अपनी निधि/ स्रोत से करते हैं वे सहायता पाने से वर्जित (excluded) है।	**तत्कालिक प्रकार के कियाकलाप :** तत्कालिक प्रकृति के कार्यो (Work of an immediate nature) की सूची संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। **आवश्यकताओं का आंकलन :** आवश्यकताओं के आकलन पर राज्यों की लागत/ दर के आधार पर मरम्मति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की द्वारा सिफारिश किया जायेगा एवं एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल द्वारा आकलन किया जायेगा। ➢ सड़कों की मरम्मति के संबंध मे भारत में सड़क मरम्मति नॉर्मस 2001 में निर्धारित रख-रखाव के मानदंड के अनुरूप भारी बारिस/ बाढ़/ चकवात/ भूस्खलन/ रेत टिला आदि के दौरान यातायात बहाल करने के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जाय: • सामान्य एवं शहरी क्षेत्र : कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 15 प्रतिशत • पहाड़ी क्षेत्र- कुल सामान्य मरम्मति (Ordinary Repair) एवं चक्रिय मरम्मति (Periodic Repair) का अधिकतम 20 प्रतिशत नोटः- राज्य द्वारा पहले अपने बजट प्रावधान के तहत नियमित रख-रखाब एवं मरम्मती का उपयोग किया जायेगा।
11.	**PROCUREMENT/ खरीद**	
	Procurement of essential search, rescue and evacuation equipments including	- Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State

	communication equipments, etc. for response to disaster.	Executive Committee (SEC). - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.
	आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक खोज, बचाव, निष्कासन के उपकरण एवं संचार उपकरणों सहित का क्रय	➢ राज्य स्तरीय कार्यकारणी समिति के आंकलन के अनुसार सिर्फ एस0डी0आर0एफ0 से ही (एन0सी0सी0एफ0 से नहीं) खर्च का वहन किया जाएगा। ➢ कुल व्यय की राशि एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक विनियोजन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. पूर्व की भांति वर्त्तमान में केन्द्रीय मानदर के क्रमांक 1 (ङ) के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच मुफ्त खाद्यान्न के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के अतिरिक्त 1500/- (पन्द्रह सौ) रूपये नगद अनुदान मद में दिया जाएगा।

4. भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2011 एन0डी0एम0-1 दिनांक-16.01.2012 द्वारा निर्धारित एवं संशोधित मानदर जो 2010 से 2015 तक के लिए है वह राज्य में दिनांक-01.04.2012 के प्रभाव से लागू होगा तथा एन0डी0आर0एफ0 से उसी के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

5. पूर्व में निर्गत मानदर सबंधी सभी आदेश निरस्त समझा जाय।

6. यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी मद का मानदर भारत सरकार के मानदर से अधिक निर्धारित किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मद स्वीकृत किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदो की सूची में नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मानदर/मद ही प्रभावित होंगे।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36/2002...1293.../आ0प्र0,   पटना-15, दिनांक- 17/4/2012

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/4

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36/2002...1293.../आ0प्र0,   पटना-15, दिनांक- 17/4/2012

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त बिहार/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

17/4

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36/2002..1293...../आ0प्र0,   पटना-15, दिनांक- 17/4/2012

प्रतिलिपिः श्री देव कुमार, निदेशक, (डी0एम0-1), भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), लोक नायक भवन, नई दिल्ली को उनके पत्रांक 32-7/2011 एन0डी0एम0-1 दिनांक-16.01.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

17/4

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36/2002.1293......./आ0प्र0,   पटना-15, दिनांक- 17/4/2012

प्रतिलिपिः उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/4

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36/2002....1293.../आ0प्र0,   पटना-15, दिनांक- 17/4/2012

प्रतिलिपिः मुख्य मंत्री के सचिव/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/ मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17/4

प्रधान सचिव

APPENDIX
(Item No. 10)

Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :
i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/ spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.
ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structure, approach gantries/jetties.

2. Roads
i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
ii) Repair of breached culverts.
iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation :
i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.
ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.
iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

4. Health :
Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/ community Health Centres.

5. Community assets of Panchayat
a) Repair of village internal roads.
b) Removal of debris from drainage/sewerage lines.
c) Repair of internal water supply lines.
d) Repair of street lights.
e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, *anganwadi*, etc.

*****

(परिशिष्ट मद संख्या-10 का)

तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकलापों) की विस्तृत सूचीः-

1. पेय जलापूर्त्तिः

I. हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त चबूतरों /रिंगवेल्स/स्प्रिंग-टैप्ड चेम्बर्स/पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट/ जल-कुण्डों (Cisterns) की मरम्मति।

II. क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट का पुनःस्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।

III. क्षतिग्रस्त पॅपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मति।

2- सड़कः

I. दरार (Breaches) और सड़क के गड्ढे को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधों की मरम्मति और स्टोन पीचिंग।

II. दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मति।

III. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।

IV. तत्कालिक सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल/पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मति, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मति/काऊजवेज (Causeways) की मरम्मति कराना/यातायात को पुनः स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर छाई बिछाना।

3. सिंचाईः

I. क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मति और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरों एवं पत्थरों से किया जाने वाला मिट्टी/राज मिस्त्री का कार्य।

II. बंधा/तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मति।

III. नहर और जल निकासी तंत्र से वनस्पति सामग्री/मकान बनाने की सामग्रियाँ/मलबों का बाहर निकालना।

4- स्वास्थ्यः

क्षतिग्रस्त पहुँचाव पथों/भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मति।

5- पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँः

(क) गाँव के आंतरिक सड़कों की मरम्मति।

(ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।

(ग) आंतरिक जलापूर्त्ति लाईन की मरम्मति।

(घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मति।

(ड़) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मति।